LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 24, 1995

No. F. 2 (30) Vidhi/92.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Go-Vanshiya Pashu (Vadh Ka Pratished Aur Asthayee Pravrajan Ya Niryat Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1995 (1955 Ka Adhiniyam Sankhya 23):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN BOVINE ANIMAL (PROHIBITION OF SLAUGHTER AND REGULATION OF TEMPORARY MIGRATION OR EXPORT) ACT, 1995

(Act No. 23 of 1995)

(Received the assent of the President on the 17th day of August, 1955)

An

Act

to provide for prohibition of slaughter of cow and its progeny and also to regulate temporary migration or export thereof from Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "beef" means flesh of bovine animal;

(b) "bovine animal" means and includes cow, calf, heifer, bull or bullock;

(c) "bull" means an uncastrated male above the age of three years belonging to the species of bovine animal;

(d) "bullock" means a castrated male above the age of three years belonging to the species of bovine animal;

(e) "calf" means a castrated or uncastrated male of the age of three years and below belonging to the species of bovine animal;

(f) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(g) "Competent Authority" means Collector of a District and includes any other officer who may be authorised in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority under this Act or the rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification;

(h) "cow" means a female above the age of three years belonging to the species of bovine animal;

(i) "Divisional Commissioner" means a Commissioner appointed by the State Government under Section 17 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956);

(j) "export" means to take out of the State of Rajasthan to any other place out of the State of Rajasthan;

(k) "famine and scarcity affected area" shall mean an area affected by famine or scarcity in respect of which a declaration has been made by the State Government under an appropriate law by a notification in the Official Gazette;

(l) "heifer" means a female of the age of three years and below belonging to the species of bovine animal;

(m) "slaughter" means intentional killing by any method and for any purpose whatsoever;

(n) "transporter" means and includes,—

(a) in the case of a goods carriage as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988),—

(i) the owner; if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;

(ii) the person for the time being incharge of the vehicle;

(iii) the person for the time being incharge of booking of goods or livestock;

(iv) the Managing Director, Executive Director, General Manager or Chief Executive or any other person incharge of business, as the case may be, (where the owner is a company) when the bookings are undertaken under his instruction or with his knowledge;

(v) the partner, in the case of a partnership firm, if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;

(b) in the case of Railway Goods Train,—

(i) the person for the time being incharge of booking of goods and livestock at a Railway Station; and/or

(ii) the person who prepares Railway Receipts at a Railway Station;

(c) the consignee to whom the livestock is to be delivered; and

(d) in any other case, the person carrying or accompanying the livestock.

3. Prohibition of slaughter of bovine animal.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any bovine animal.

4. Prohibition of possession, sale or transport of beef and beef products.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall possess, sale or transport for sale or cause to be sold or transported beef or beef products in any form.

5. Prohibition of export of bovine animal for the purpose of slaughter and regulation of temporary migration or export for other purposes.—(1) No person shall export and cause to be exported any bovine animal himself or through his agent, servant or other person acting in his behalf from any place within the State to any place outside the State for the purposes of slaughter or with the knowledge that it may be or is likely to be slaughtered.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) temporary migration of bovine animal from the famine and scarcity affected areas of Rajasthan may be allowed by the Competent Authority to other States in India for grazing purposes under a valid permit in the manner prescribed and hereinafter laid down.

(3) Any person residing in any famine and scarcity affected area and desiring migration of any bovine animal shall apply to the Competent Authority having jurisdiction over such area stating the circumstances necessitating the proposed migration together with the number of bovine animals and name of the State or States to which migration is proposed and the period for which the permit is required.

(4) The Competent Authority after satisfying itself about the genuineness of the request of the applicant referred in sub-section (3), may grant him a permit in the prescribed form and manner which among other things may provide for affixing of identification mark before such temporary

migration of bovine animal is allowed out of the State and in no case the period of said migration shall extend beyond the month of August next following the date of grant of the permit.

(5) On return from temporary migration the applicant referred to in sub-section (3), shall inform the Competent Authority in writing about the number of bovine animal brought back by him together with the explanation for variations, if any.

(6) If any person does not bring back such bovine animal into the State and also within the period specified in the permit he shall be deemed to have contravened the provisions of sub-section (1).

(7) The Competent Authority may issue special permit in the prescribed manner for export of bovine animal from Rajasthan for agricultural or dairy farming purposes or for participation in a cattle fair, and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such bovine animal below the level of actual requirement of the local area.

(8) Any applicant referred to in sub-section (3) or any person seeking special permit under sub-section (7), aggrieved by an order of the Competent Authority made under sub-section (4), sub-section (6) or sub-section (7) may make an application, within thirty days from the date of the order, to the Divisional Commissioner and the Divisional Commissioner may upon such application or *suo-motu* call for and examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and such order shall be final and conclusive and shall not be called in question in any civil court.

6. Transporter to be abettor.—Whenever the bovine animals are transported by any means of transport in furtherance of the object of commission of any offence under this Act, the transporter shall be guilty of abetment of the said

offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence.

7. Custody and disposal of bovine animal seized.—(1) Whenever as a result of search or seizure or as a result of inspection or otherwise the bovine animals are seized, the custody of the seized bovine animals pending final disposal of the case may be entrusted by an order of the Competent Authority to any recognised voluntary agency working for the welfare of such animals or to a Gaushala or a Gosadan governed under the provisions of the Rajasthan Gaushala Act, 1960 (Act 24 of 1960) :

Provided that where there is no such voluntary agency or Gaushala or a Gosadan in any local area, the Competent Authority may entrust the custody of bovine animals to any such agency, Gaushala or Gosadan outside the area or to any other suitable person, who volunteers to maintain such animal.

(2) Whenever any case is finally disposed of, further orders regarding custody or permanent entrustment of bovine animal shall be made by the Competent Authority subject to such terms and conditions as may be deemed proper.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may, within thirty days from the date of the said order, appeal against it to the Divisional Commissioner.

(4) On such appeal the Divisional Commissioner may after giving an opportunity to the appellant and the Competent Authority or any other officer authorised by him in this behalf to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just.

(5) Whenever any bovine animal is seized under this Act the Competent Authority or the Divisional

Commissioner shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, Tribunal or other Authority shall not have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal or release of such animal.

8. Penalty.—(1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 shall, on conviction, be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to ten years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4 or section 5 shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to five years and with fine which may extend to five thousand rupees.

9. Punishment for causing hurt.—(1) Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any bovine animal is said to cause hurt.

(2) Whoever intentionally causes hurt to a bovine animal shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to three thousand rupees.

(3) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (2), shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

10. Punishment for intentionally injuring any bovine animal.—(1) Whoever intentionally causes grevious injuries to a bovine animal shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to seven years and with fine which may extend to seven thousand rupees.

Explanation.—For the purpose of this section grievious injury shall include,—

(i) emasculation (in the case of bull),

(ii) permanent privation of sight of either eye,

(iii) permanent privation of the hearing of either ear,

(iv) privation of any member or joint,

(v) fracture or dislocation of a bone or tooth,

(vi) any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain and ultimately renders unfit or unserviceable.

(2) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (1) shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

11. **Burden of proof.**—Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

12. **Power to enter and inspect places.**—(1) For the purpose of this Act the Competent Authority or any person authorised in writing in that behalf by the Competent Authority (hereinafter in this section referred to as " the authorised person") shall have power to enter and inspect any place where the Competent Authority or the authorised person has reason to believe that an offence under this Act has been, or is likely to be committed.

(2) Every person in occupation of such place shall allow the Competent Authority or the authorised person such access to that place as may be necessary for the aforesaid purpose and shall answer to the best of his knowledge and belief any question put to him by the Competent Authority or the authorised person.

(3) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority or the authorised person, in exercising the powers of entry upon, and inspection of, any place under this section, follow, as far as may be, the provisions of section 100 of the Code, relating to the search or inspection of a place by a Police Officer.

13. **Person exercising powers under this Act deemed to be public servant.**—All persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

14. **Protection of persons acting in good faith.**— No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

15. **Power to make rules.**—The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

16. **Amendment of Rajasthan Act No. 4 of 1950.**—As from the commencement of this Act section 2 and section 3 of the Rajasthan Preservation of Certain Animals Act, 1950 (Rajasthan Act No. 4 of 1950), hereinafter referred as aforesaid Act, shall stand deleted.

17. **Savings.**—The deletion of section 2 and section 3 of the aforesaid Act shall not—

(i) affect any fine, penalty or punishment imposed or suffered in respect of any offence committed against the provisions of these sections of the aforesaid Act;

(ii) affect any investigation or legal proceedings pending in respect of incurring of any liability, imposing of any fine, penalty or punishment or any remedy available on the date of commencement of this Act;

(iii) affect the previous operation of these sections or anything duly done or suffered thereunder;

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be initiated, continued or enforced and any such fine, penalty or punishment may be imposed as if these sections have not been so deleted.

जे. पी. बंसल,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

252
5/8/97

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 3, शुक्रवार, शाके 1917-अगस्त 25, 1995
Bhadra 3, Friday, Saka 1917—August 25,, 1995

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 24, 1995

संख्या प.2 (30) विधि/2/92:-राजस्थान राज्य विधान मडल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्या 23)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई]

गाय और उसकी नस्ल के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''गो-मांस'' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है;

(ख) ''गोवंशीय पशु'' से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल;

(ग) ''सांड'' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;

(घ) ''बैल'' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;

(ङ) ''बछड़ा'' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत या अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;

(च) ''संहिता'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(छ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;

(ज) ''गाय'' से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है;

(झ) ''खण्ड आयुक्त'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ञ) ''निर्यात'' से राजस्थान राज्य से राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है ;

(ट) ''दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र'' से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा

किसी समुचित विधि के अधीन, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;

(ठ) "बछिया" से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष और उससे कम आयु की कोई मादा अभिप्रेत है;

(ड) "वध" से अभिप्रेत है किसी भी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना;

(ढ) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-

(i) स्वामी, यदि बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ii) यान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iii) माल या पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iv) प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालक या, यथास्थिति, कारबार का प्रभारी कोई भी अन्य व्यक्ति (जहां स्वामी कोई कम्पनी हो) जब बुकिंगें उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जायें;

(v) किसी भागीदारी फर्म के मामले में भागीदार, जब बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ख) रेल माल गाड़ी के मामले में,-

(i) किसी रेल स्टेशन पर माल और पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति; और/या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी रेल स्टेशन पर रेल रसीदें तैयार करता है :

(ग) ऐसा परेषिती जिसे पशुधन परिदत्त किया जाना है; और

(घ) किसी भी अन्य मामले में, पशुधन का वहन करने वाला या उसके साथ जाने वाला व्यक्ति ।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 1995 86

3. गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा ।

4. गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा ।

5. वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.-कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा ।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी भी गोवंशीय पशु का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, गोवंशीय पशुओं की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गोवंशीय पशु के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान

3. गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

4. गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

5. वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.-कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी भी गोवंशीय पशु का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, गोवंशीय पशुओं की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गोवंशीय पशु के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान

चिह्न लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।

(5) ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या के बारे में लिखित सूचना, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण के साथ, देगा।

(6) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशु राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(7) सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से गोवंशीय पशु के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशु की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(8) उप-धारा (4), उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन किये गये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उप-धारा (7) के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला, कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खण्ड आयुक्त ऐसे आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. परिवाहक का दुष्प्रेरक होना.-जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है।

7. अभिगृहीत गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा.-(1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जायें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सौंपी जा सकेगी :

परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या गोशाला या कोई गोसदन नहीं हो वहां सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या गोशाला या गोसदन को या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे ।

(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें ।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर उसके विरुद्ध खण्ड आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी अपील पर खण्ड आयुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक आदेश के रोक दिये जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों ।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहीत किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी ।

8. शास्ति.-(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

9. उपहति कारित करने के लिए दण्ड.-(1) जो कोई किसी भी गोवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय उपहति कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

10. किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड.-(1) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है-

(i) पुंस्त्वहरण (सांड के मामले में),

(ii) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना,

(iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,

(iv) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना,

(v) किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन,

(vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

11. सबूत का भार.-जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।

12. स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति.-इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके आगे "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहां सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है।

(2) ऐसे स्थान का अधिभोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को उस स्थान में पहुंच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्शक्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित, संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

13. इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक समझा जाना.-इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

14. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण.-किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य

विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हों।

15. **नियम बनाने की शक्ति.**-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

16. **1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 का संशोधन.**-इस अधिनियम का प्रारम्भ होते ही, राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें आगे पूर्वोक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 और धारा 3 हटायी जायेंगी।

17. **व्यावृत्तियां.**-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 3 का हटाया जाना,-

(i) पूर्वोक्त अधिनियम की इन धाराओं के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी भी अपराध के संबंध में अधिरोपित या भुगते गये किसी भी जुर्माने, शास्ति या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ii) कोई भी दायित्व उपगत करने, कोई भी जुर्माना, शास्ति या दण्ड अधिरोपित करने या उपलब्ध किसी भी उपचार के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित किसी भी अन्वेषण या विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा;

(iii) इन धाराओं के पूर्व-प्रवर्तन या इनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या भुगती गयी किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा;

और ऐसे किसी भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार को ऐसे संस्थित किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा, और किसी भी ऐसे जुर्माने, शास्ति या दण्ड को ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो ये धाराएं इस प्रकार नहीं हटायी गयी हों।

जे. पी. बंसल,
शासन सचिव।